बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
-:: संकल्प ::-

श्रीमती शोभा शेखर, तत्कालीन प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरवल सम्प्रति प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पटना सिटी, पटना के विरूद्ध निन्दन एवं असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि की रोक की शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

दिनांक–26.05.2017 को तत्कालीन निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार पटना तथा संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरवल का औचक निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के क्रम में श्रीमती शोभा शेखर, प्राचार्य संस्थान से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गयी। संस्थान में कई अनियमितताएँ भी पायी गयी। फलतः श्रीमती शोभा शेखर, तत्कालीन प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरवल सम्प्रति प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पटना सिटी, पटना के विरूद्ध अनधिकृत रूप से दिनांक–23.05.2017 से ही संस्थान सें अनुपस्थित रहने, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरवल (जो उनके प्रभार में था) में भी मार्च, 2017 से निरीक्षण की तिथि तक नहीं आने, प्रशिक्षण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरवल के एक साथ तीन अनुदेशकों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने एवं स्वयं अनुपस्थित रहने, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरवल में पर्याप्त स्थान उपलब्ध रहने के बावजूद उपस्कर एवं मशीनरी की स्थापना हेतु अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं करने, प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति Biometric Device के माध्यम से किये जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं करने के मामलों में प्रपत्र 'क' में कुल 09 आरोप गठित कर निदेशालय के पत्रांक–1356 दिनांक–05.06.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्रीमती शेखर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–45 दिनांक–21.06.2017 से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमती शेखर द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया कि वे दिनांक–23.05.2017 एवं दिनांक–24.05.2017 को मुख्यालय में उपस्थित थी। दिनांक–23.05.2017 को कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग, अरवल को नये भवन में ट्रान्सफार्मर स्थापित करने का पत्र दिया गया एवं भौतिक रूप से वार्ता भी की गयी। दिनांक–24.05.2017 को निर्माणाधीन भवन, पखरपुर, अरवल में गोदरेज रखवाने के लिए उपस्थित थी तथा दिनांक–25.05.2017 से 26.05.2017 वे विशेष आकस्मिक अवकाश में थी। यह भी कहा गया कि वे मार्च, 2017 के बाद महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरवल में गयी हैं। संस्थान में अनुदेशक की कमी है। मात्र अतिथि अनुदेशकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अनुदेशकों को विशेष परिस्थिति में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया एवं प्रशिक्षण किसी तरह से प्रभावित नहीं हुआ। निकट भविष्य में नये संस्थान में उपष्कर एवं मशीन स्थापित किया जायेगा। संस्थान का बोर्ड लगा हुआ था। परन्तु दो दिन पूर्व आँधी–तुफान में टूटकर गिर गया था, जिसे फिर से लगा दिया गया है। Biometric Device के क्रय की प्रक्रिया की जा रही है। श्रीमती शोभा शेखर को आरोप पत्र के साथ जिन साक्ष्यों की प्रति दी गई उन साक्ष्यों को उन्होंने मिथ्या बताया।

3. श्रीमती शोभा शेखर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्रीमती शेखर द्वारा स्पष्टीकरण के साथ साक्ष्य के रूप में सलंग्न अभिलेख/कागजात झूठा, मनगढंत एवं बनाबटी है। दिनांक–26.05.2017 को निरीक्षण के दौरान श्री मनोज कुमार, लिपिक, आई०टी०आई०, अरवल तथा श्री दिनेश पासवान, अनुबंध ड्राइंग अनुदेशक, औ०प्र० संस्थान, अरवल ने लिखित रूप में यह बयान दिया है कि श्रीमती शेखर दिनांक–22.05.2017 के बाद निरीक्षण तिथि दिनांक–26.05.2017 तक संस्थान नहीं आई है।

बिजली की समस्या है, इस कारण छात्र की उपस्थिती कम होती है। श्री रामबहादुर सिंह तथा श्री कुणाल कुमार, कार्यालय परिचारी, औ०प्र० संस्थान, अरवल द्वारा भी लिखित बयान दिया कि प्राचार्या इस सप्ताह में संस्थान नहीं आई है। श्रीमती शोभा शेखर ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उन्होंने अवकाश में जाने के पूर्व विभागीय पत्रांक–805 दिनांक–27.03.2017 के आलोक में जिला पदाधिकारी अरवल की अनुमति प्राप्त की हो। इस प्रकार समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्रीमती शोभा शेखर संस्थान से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थी। फलस्वरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा श्रीमती शोभा शेखर, तत्कालीन प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरवल सम्प्रति प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पटना सिटी, पटना के विरूद्ध निन्दन तथा दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित, 2007) के नियम 14 के कंडिका (i) तथा (v) के आलोक में श्रीमती शोभा शेखर, तत्कालीन प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरवल सम्प्रति प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पटना सिटी, पटना के विरूद्ध क्रमशः निन्दन एवं दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्रीमती शोभा शेखर, तत्कालीन प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरवल सम्प्रति प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पटना सिटी, पटना को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 41/2019 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के साथ बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोघ है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 41/2019 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 41/2019 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6 / श्रम वि० आ० (01)– 41 / 2019 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6 / श्रम वि० आ० (01)– 41 / 2019 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

निबंधित डाक प्रतिलिपि– श्रीमती शोभा शेखर, प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पटना सिटी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6 / श्रम वि० आ० (01)– 41 / 2019 श्र०सं०– 13 पटना, दिनांक–06/01/2020

प्रतिलिपि–निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण / अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / प्रभारी गोपनीय चारित्री / लोक सूचना पदाधिकारी / आई०टी० मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–01), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/01/2020

सरकार के उप सचिव

आई० टी० मैनेजर